न्यायालय अपर कलक्टर,नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व रेफरेन्स सं0 – 01/2020

प्रार्थी **बनाम** **अप्रार्थीगण**

सरकार जरिये तहसीलदार, मेडता

1 लक्ष्मीनारायण पुत्र बंकटलाल जाति ब्राह्मण निवासी भूरियासनी तहसील मेडता जिला नागौर।

2 त्रिलोकीनाथ पुत्र सामरीलाल जाति सेवग निवासी मेडता जिला नागौर।

उपस्थिति–

1– श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

2– श्री विक्रम जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

3– अप्रार्थी संख्या 02 स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनांक 03.12.2024

(1)– तहसीलदार मेडता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर मौजा चक भुरियासनी के साबिक खसरा नं. 21 रकबा 8 बीघा 02 बिस्वा हाल खसरा नं. 27 रकबा 1.31 हैक्ट. का इन्द्राज लक्ष्मीनारायण पुत्र बंकटलाल के नाम से पुनः डोली बनाम मंदिर श्री चारभुजा वाके मेडतासिटी के नाम किये जाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी का रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री विक्रम जोशी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। रेफरेंस के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थी त्रिलोकीनाथ पुत्र सामरीलाल ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत दिनांक 17.02.2020 पेश किया, जिसको बाद सुनवाई प्रार्थी त्रिलोकीनाथ पुत्र सामरीलाल को बतौर अप्रार्थी संख्या 02 प्रकरण में पक्षकार बनाया गया। प्रार्थी ने अपने रेफरेन्स के समर्थन मे ग्राम चक भुरियासनी की खतौनी नकल सम्वत् 2008 से 27, 2015 से 18, 2019 से 22, 2023 से 26, 2027 से 30, 2038 से 41, 2061 से 64, 2069 से 72, नामान्तरकरण संख्या 545 की फोटोप्रति, नामान्तरकरण संख्या 577 की फोटोप्रति, मौजा चक भुरियासनी के खसरा नम्बर 27 के मिलान क्षेत्रफल की फोटोप्रति तथा पटवारी रिपोर्ट की प्रति तथा अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने समर्थन में पर्चा तजबीज लगान विवादित भूमि बहक गोविंद की फोटोप्रति, न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 02.09.1996 की फोटोप्रति, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 25.09.2002 की फोटोप्रति तथा अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने समर्थन में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 18.09.19 की फोटोप्रति पेश की।

(2)– उभयपक्ष को सुना गया। वकील प्रार्थी द्वारा बहस शुरू करते हुए रेफरेन्स के तथ्यो को दोहराया तथा बताया गया कि –

(2)(1)– मौजा चक भूरियासनी के साबिक खसरा नम्बर 21 रकबा 8 बीघा 02 बिस्वा की खातेदारी डोली बनाम मंदिर श्री चारभुजा वाके मेडतासिटी बएतमाम सामरीलाल वल्द.... कौम सेवग साकिन मेडतासिटी पुजारी मंदिर के नाम से है तथा नाम कृषक में गोविन्दराम पुत्र प्रताप कौम ब्राह्मण साकिन भूरियासनी है।

03/12/24

अपर कलक्टर, नागौर

(2)(2)–मौजा चक भूरियासनी के नया खसरा नम्बर 27 रकबा 1.31 हैक्टयर भूमि का नामान्तरकरण 545 दिनांक 04.09.01 द्वारा डोली बनाम मंदिर चारभुजा वाके मेडतासिटी दर्ज हुआ, तत्पश्चात नामान्तरण संख्या 577 दिनांक 08.04.05 द्वारा चक भूरियासनी के खसरा नम्बर 27 रकबा 1.31 हैक्ट. की खातेदारी पुनः लक्ष्मीनारायण पुत्र बंकटलाल ब्राह्मण के नाम हुई। तत्पश्चात लगातार इन्द्राज पुनः लक्ष्मीनारायण पुत्र बंकटलाल कौम ब्राह्मण साकिन भूरियासनी के नाम से चला आ रहा है। अतः मौजा चक भूरियासनी का साबिक खसरा नम्बर 21 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा हाल नया खसरा नम्बर 27 रकबा 1.31 हैक्टयर का इन्द्राज पुनः डोली बनाम मंदिर चारभुजा वाके मेडतासिटी के नाम किया जावे।

(3)– अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी बहस में बताया कि उक्त प्रकरण पूर्व में न्यायालय हाजा में पेश हो रखा है जिससे न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 01/88 निर्णय दिनांक 02.09.1996 द्वारा रेफरेंस को खारिज किया जा चुका है, तत्पश्चात उक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र के विरूद्व न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 25.09.02 द्वारा भी उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया। उक्त रेफरेंस सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

(4)–अप्रार्थी संख्या 02 ने अपनी बहस में बताया कि–

(4)(1)– भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत रेफरेंस की कार्यवाही तब की जाती है जब कि गैर कानूनी तौर पर नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ हो किंतु बगैर नामान्तरकरण के नई जमाबंदी बनाते समय कोई खातेदारी बदल दी गई हो तो भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की कार्यवाही करने के सरकारी निर्देश 18.09.2019 द्वारा शुद्वि पत्र के माध्यम से किया जाने का निर्देश है ताकि शीघ्र निस्तारण हो और न्याय हो।

(4)(2)–तहसीलदार मेडता द्वारा जो जमाबंदी संवत 2008 से 2027 पेश की गई है उसमें वाद वर्णित खातेदारी मूर्ति–चारभुजा मंदिर मेडता जरिये पुजारी सामरीमल दर्ज है जो वर्तमान पुजारी त्रिलोकीनाथ के पिता है।

(4)(3)–उपरोक्त आधार पर ही त्रिलोकीनाथ के हक में प्रमाण पत्र 01.04.1981 जारी हुआ है और इस खेत की आय लेने का हक प्रार्थी पुजारी को ही वर्तमान में निरंतर है जो कि खेत की कीमत नहीं है। इसी को प्रपत्र 12(ख) ने मान्यता दी है।

(4)(4)–1968 RLW 376 के पैरा संख्या 5 के अनुसार सरकारी अतिक्रमी है और RTA 19(2) IV के अनुसार अतिक्रमण काल की फसल की कीमत बतौर हरजाना पाने का मंदिर को हक है साथ ही 1955 RLW 47 अनुसार पुनः कब्जा भी मंदिर को जरिये कृषि व्यवस्थापक पाने का हक है तथा प्रपत्र 12(ख) में प्रार्थी को व्यवस्थापक माना है जो आज भी प्रभावी है। लिहाजा सरकारी निर्देशों और न्यायिक सिद्वान्तों के अनुसार मूर्ति श्री चारभुजा मंदिर मेडता को जिस तरह शीघ्र अपना हक प्राप्त हो सके।

(5)– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि मौजा चक भूरियासनी के साबिक खसरा नम्बर 21 रकबा 8 बीघा 02 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 27 रकबा 1.31 हैक्टयर का रेफरेंस पूर्व में तहसीलदार मेडता द्वारा इसी न्यायालय में राजस्व रेफरेंस संख्या 01/88 पेश किया गया था, जिसका निर्णय न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 02.09.1996 को सुनवाई कर निरस्त कर दिया गया था।

03/14

अपर कलक्टर, नागौर

न्यायालय हाजा द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्व अप्रार्थी संख्या 02 ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र संख्या प्रार्थना पत्र/एलआर/10/99/नागौर पेश किया, जिसका निर्णय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 25.09.02 को किया जाकर अप्रार्थी संख्या 02 का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्व किसी भी पक्षकार ने आगे सक्षम न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही नहीं की है, ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.09.1996 अंतिम हो चुका है। इस प्रकार उक्त अप्रार्थी संख्या 02 को पूर्व में हुए निर्णयों की भली भांति जानकारी रही है।

इसके अलावा तहसीलदार मेडता द्वारा पुनः उन्ही विवादित खेताय के संबंध में दुबारा रेफरेंस प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जबकि विधि अनुसार एक बार किसी भी विवादित संपति के संबंध में जब एक बार सक्षम न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई कर निर्णय पारित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसी विषयवस्तु के संबंध में पुनः उसी न्यायालय में रेफरेंस आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के प्रकरण संख्या 147/2005 के निर्णय दिनांक 11.01.2005 की पालना में तहसीलदार मेडता द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम नामान्तरकरण संख्या 577 भरा गया है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 ने ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य/आदेश न्यायालय हाजा में पेश नहीं किया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 147/2005 में पारित आदेश किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया हो। जहां तक अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा जो लिखित बहस उक्त प्रकरण में पेश की गई है जिसमें अप्रार्थी संख्या 02 ने कथन किया है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 की कार्यवाही की जा सकती है, परन्तु धारा 136 के संबंध में इस न्यायालय को किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का इस प्रकरण में कोई विधिक अधिकार नहीं है, इस संबंध में अप्रार्थी संख्या 02 चाहे तो सक्षम न्यायालय में इस संबंध में चाराजोही करने को स्वतंत्र है, किंतु चूंकि विधि अनुसार इस प्रकरण में पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई कर अंतिम निर्णय पारित किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में उसी जायगा के संबंध में तहसीलदार मेडता द्वारा पुनः पेश किया गया रेफरेंस आवेदन विधि अनुसार चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

(6) उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(7) आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03/11

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर